न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 41/2022 जिला दौसा

1. सीताराम पुत्र रामधन
2. विजयसिंह पुत्र कल्याण
3. करतार पुत्र कल्याण
4. कंचन पुत्र रामकिशन
5. गंगाधर पुत्र रामकिशन
6. बाबूलाल पुत्र रामकिशन
7. रामरतन पुत्र रामकिशन
8. लाकाराम पुत्र रामकिशन
9. हरिसिंह पुत्र रामकिशन
10. रामकरण पुत्र रणजीता
11. लक्ष्मण पुत्र रणजीता
    समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम राजवास तहसील दौसा जिला दौसा।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. बीरबल पुत्र रामकुवांर
2. भान्ति पत्नि रामकुवांर
3. हनुमान पुत्र रामकुवांर
4. हंसराज पुत्र रामकुवांर
   समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम राजवास तहसील दौसा जिला दौसा राज.।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा राज0।
6. उप तहसीलदार उप तहसील भांडारेज तहसील व जिला दौसा राज0।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा दिनांक 21.01.2021 उनवानी बीरबल वगै0 बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण संख्या 1/2021 शिविर जो प्रार्थना पत्र अ0 धारा 128 में किया गया है।

उपस्थित—

1. श्री अशोक कुमार जोशी, वकील अपीलान्ट
2. श्री उमेश गौड, रेस्पोडेन्ट नं. 1 से 4 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 5 से 6 की ओर से

निर्णय

दिनांक —12.04.2023

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी दौसा जिला दौसा के निर्णय दिनांक 21.01.2021 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 03.06.2022 को प्रस्तुत हुई है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो. सं. 1 लगायत 4 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत सीमाज्ञान/पत्थरगढी कराने हेतु प्रशासन गांव के संग अभियान—2021 केंप स्थल सुरजपुरा में अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा में इस आशय का पेश किया कि ग्राम रामवास तह0 दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 272 रकबा 4.77 हैक्टर उनकी खातेदारी की भूमि है एवं मौके पर काबिज होकर लाभावित्त हो रहे हैं। किंतु प्रार्थीगण का पडौसी खातेदारों से सीमा विवाद बना रहता है। दिनांक 20.7.2020

Scanned with OKEN Scanner

को पडौसी खातेदारान द्वारा प्रार्थीयान की उपर्युक्त आराजी में कब्जा करने का प्रयास किया। उनके द्वारा पूर्व में दिनांक 15.2.2020 को सीमाज्ञान किया किंतु वह सीमाज्ञान त्रुटिपूर्ण रहा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार को आदेश फरमावें कि वह आराजी खसरा नंबर 272 रकबा 4.77 हैक्टर वाके ग्राम राजवास तहसील दौसा जिला दौसा का मौके पर मय टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी कर सीमाएं कायम फरमाने हेतु प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर तहसीलदार दौसा को आदेश दिये गये कि दक्ष एवं अनुभवी गिरदावर व पटवारियों की टीम गठित कर ग्राम राजवास में स्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 272 रकबा 4.77 हैक्टर का सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी करावें तथा प्रार्थी से नियमानुसार शुल्क वसूला जावे। सीमाज्ञान/पत्थरगढी हेतु यदि कोई पेड या झाडियां हटाना आवश्यक हो तो उसे प्रार्थी स्वंय अपनी जिम्मेदारी एवं खर्चे पर हटवायेगा। पालना हेतु तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी की जावे। तहसीलदार दौसा को यदि पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो संबंधित पुलिस थाने से पुलिस इमदाद प्राप्त करने के आदेश दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी दौसा जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 21.10.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्री सीताराम पुत्र रामधन वगै0 द्वारा यह अपील 96 सी.पी.सी. मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी दौसा जिला दौसा दिनांक 21.10.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि भूमि साबिक खसरा नम्बर 33/1 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 31/2 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 23 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम राजवास तहसील दौसा खातेदार रामकुवांर पुत्र रामसुखा था जिसके द्वारा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.7.1961 को पुस्तक संख्या 1 भाग संख्या 7 कम संख्या 102 पृष्ठ संख्या 107 से 108 पर मिन अपीलांट के पूर्वज रामधन पुत्र भौरया, रामकिशन पुत्र रामदेवा व रणजीता पुत्र रामसुखा कौम गुर्जर को विक्रय कर विक्रय पत्र तस्दीक करवाकर मौके पर कब्जा करवा दिया था। तत्पश्चात सेटलमेंट विभाग द्वारा साबिक खसरा नम्बर 31 के हाल खसरा नम्बर 266 रकबा 1.08 है0, खसरा नम्बर 268 रकबा 0.88 है0, खसरा नम्बर 267 रकबा 1.35 है0, खसरा नम्बर 365 रकबा 0.18 है0 बनाये गये एवं साबिक खसरा नम्बर 33 के हाल खसरा नम्बर 272 रकबा 4.77 है0 एवं खसरा नम्बर 272/787 रकबा 3.19 है0 बनाये गये। जिसमें प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 272/787 का रकबा साबिक रिकॉर्ड अनुसार नहीं बनाया जाकर लगभग 0.50 है0 भूमि कर अपीलांट्स की खातेदारी एवं नक्शे में दर्ज कर दी। रेस्पो0 संख्या 1 लगा0 4 के हाल खसरा नम्बर 272 रकबा 4.77 है0 में से 0.50 है0 भूमि अपीलांट्स की साबिक खसरा नम्बर 33/1 की भूमि दर्ज कर दी तथा अपीलांट्स के हाल खसरा नम्बर 272/787 में से 0.50 है0 भूमि कम दर्ज कर दी। जिस बाबत अपीलांटस द्वारा योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0टी0एक्ट एवं 136 लै0रे0एक्ट बाबत उद्घोशणा स्थाई निषेधाज्ञा व दुरूस्ती इन्द्राज का प्रस्तुत कर रखा है जो न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त वाद पत्र में रेस्पो0 संख्या 1 लगा05 को नोटिस जारी हो गये तथा आगामी तारीख पेशी 17.06.2022 नियत है। उक्त वाद पत्र की पूर्ण जानकारी रेस्पोडेन्ट्स को होते हुए भी रेस्पो0 द्वारा कतई गलत आधारों पर मिन अपीलांट्स को पक्षकार बनाये बिना प्रशासन बनाये बिना प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प स्थल सूरजपुरा पर एक प्रार्थना पत्र अ.धारा 128 लै0रे0 एक्ट का प्रस्तुत कर केवल मात्र खसरा नम्बर 272 वाके ग्राम राजवास तहसील

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

दौसा सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी करवाने के निर्णय प्राप्त करने की याचना चाही। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 21.10.2021 को कैम्प में प्रस्तुत हुआ तथा उसी दिन योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नायब तहसीलदार से रिपोर्ट लेकर उक्त तिथी को ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर विवादित भूमि खसरा नम्बर 272 का सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी करने के निर्णय पारित कर दिये। योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्षा रेस्पो0 संख्या 1 लगा. 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में भूमि के पडौसी खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया तथा ना ही अंकित किया कि कौन कौन पडौसी खातेदार है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में दीगर लोगों की खातेदारी होने का अंकन तो लिखा है किन्तु उनको पक्षकार नहीं बनाया गया तथा योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ही उक्त बिन्दु पर कोई गौर किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जबकि कानूनन प्रार्थना 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट प्रस्तुत करने के लिए भूमि के पडौसी खातेदारान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है जिस कारण योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। रेस्पो0 को बखूबी इस बात की जानकारी थी कि खसरा नम्बर 272 के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा के समक्ष अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत वाद विचाराधीन है तथा हक हकूक अधिकारी उक्त वाद पत्र में तय होना बाकी है फिर भी रेस्पो. द्वारा उक्त जानकारी होते हुए भी तथा स्वंय तहसीलदार को जानकारी होते हुए भी उक्त प्रकार का प्रार्थना पत्र पेश किया तथा योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पडौसी खातेदारान को पक्षकार नहीं बनवाये बिना मौके के विपरीत रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। खसरा नम्बर 272 में अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 272/787 का 50 एयर भाग आता है तथा उस पर अपीलांट्स बजमाने बुजर्गान कय तारीख 26.7.1961 से काबिज चले आ रहे है तथा मौके पर अपनी रिहायश कर रखी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई जांच करवाये तथा अपीलांट्स को कोई सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना पक्षकार बनाये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। भूप्रबन्ध विभाग राजस्थान द्वारा जारी परिशोधन पत्र में रामकुवांर पुत्र रामसुखा कौम गुर्जर के बजाए उक्त भूमि के खातेदारी साबिक खसरा नम्बर 33/1 व 31/2 कुल 23 बीघा 2 बिस्वा अंकित की थी किन्तु बाद में दौराने सैटिलमेंट 23 बीघा 2 बिस्वा के स्थान पर 5.15 है0 भूमि दर्ज कर लगभग 0.63 है0 भूमि कम कर दी जिसमें खसरा नम्बर 272 में रकबा बढाकर रेस्पो0 के नाम ज्यादा कर दिया तथा खसरा नम्बर 272/787 में से 50 एयर भूमि रेस्पो0 के नाम गलत रूप से अंकित कर दी जिस बाबत वाद विचाराधीन है। जिसकी बखूबी जानकारी रेस्पो0 को होते हुए भी उनके द्वारा अपीलांट्स को पक्षकार बनाये बिना गुपचुप रूप में एक ही दिन में सब कार्य करते हुए प्रार्थना पत्र पेश कर दिया तथा योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी कोई गौर किये बिना त्वरित गति से अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी दौसा जिला दौसा दिनांक 21.10.2021 निरस्त किया जावे। अपीलांट को जारी नकल दिनांक 31.05.2022 को प्राप्त हुई है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जावे। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम रामवास तह0 दौसा स्थित आराजी खसरा नंबर 272 रकबा 4.77 हैक्टर उनकी खातेदारी की भूमि है एवं मौके पर काबिज

Scanned with OKEN Scanner

होकर लाभान्वित हो रहे हैं। किंतु प्रार्थीगण का पडौसी खातेदारों से सीमा विवाद बना रहता है। दिनांक 20.7.2020 को पडौसी खातेदारान द्वारा प्रार्थीयान की उपर्युक्त आराजी में कब्जा करने का प्रयास किया। उनके द्वारा पूर्व में दिनांक 15.7.2020 को सीमाज्ञान किया किंतु वह सीमाज्ञान त्रुटिपूर्ण रहा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार को आदेश फरमावें कि वह आराजी खसरा नंबर 272 रकबा 4.77 हैक्टर वाके ग्राम राजवास तहसील दौसा जिला दौसा का मौके पर मय टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी कर सीमाएं कायम फरमाने हेतु प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर तहसीलदार दौसा को आदेश दिये गये कि दक्ष एवं अनुभवी गिरदावर व पटवारियों की टीम गठित कर ग्राम राजवास में स्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 272 रकबा 4.77 हैक्टर का सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी करावें तथा प्रार्थी से नियमानुसार शुल्क वसूला जावे। सीमाज्ञान/पत्थरगढी हेतु यदि कोई पेड या झाडियां हटाना आवश्यक हो तो उसे प्रार्थी स्वंय अपनी जिम्मेदारी एवं खर्चे पर हटवायेगा। पालना हेतु तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी की जावे। तहसीलदार दौसा को यदि पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो संबंधित पुलिस थाने से पुलिस इमदाद प्राप्त करने के आदेश दिये गये हैं। रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई कोर्ट में दावा नहीं किया गया है। जिसमें कोर्ट का दर्ज नम्बर अंकित नहीं है और नही ही प्रमाणित कॉपी पेश की गयी है। प्रार्थी की दिनांक 15.07.2020 को उप तहसीलदार भांडारेज के आदेश से सीमाज्ञान किया गया है। सीमाज्ञान में क्या समस्या है ? मेरी जमीन को कब्जा करना चाहते हैं। केवल खसरा की सीमा तय हो रही है, अधिकार तय नहीं हो रही है। फिर भी अपीलांट ने बेदखल करने एवं सींव को खुर्द बुर्द करने की नियत से श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत की है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी दौसा जिला दौसा उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी दौसा जिला दौसा उचित एवं विधिसम्यक है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमाज्ञान अनुसार ही खातेदारी भूमि की ही पत्थरगढी करवाने हेतु आदेश दिया गया है जिसमें अन्य किसी सहखातेदरान् को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा । प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को जारी नकल दिनांक 31.05.2022 को प्राप्त होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 में पडौसी खातेदार अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए अपीलांट द्वारा तहत न्यायालय में कोई जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा एकतरफा में रेस्पोडेन्ट के कथन को सही मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारीत किया गया है। रेस्पोडेन्ट की आराजी से लगती हुई अपीलान्ट की आराजी खसरा नं. 272/787 रकबा 3.19 है. स्थित है। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपीलान्ट्स हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायिक रूप से आवश्यक है तथा प्रकरण उभय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है ।

अतः—अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी, दौसा जिला दौसा दिनांक 21.10.2021 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उभय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु उन्हें प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12/4/23

(असलम शेर खान)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner